प्रारुप - 5

संख्या-701 /उन्तीस(2)/15- 2(33पे0)/2012

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 14 मई, 2015

विषय :- राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड चम्बा, जौनपुर, थौलधार की चम्बा मसूरी फलपट्टी सुरकण्डा देवी मंदिर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (बहुल ग्राम योजना) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके के पत्र संख्या-930/DPR-79(IX)/2014-15 दिनांक 15 दिसम्बर, 2014 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन0आर0डी0डब्ल्यू0पी0) के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल की विकासखण्ड चम्बा, जौनपुर, थौलधार की चम्बा मसूरी फलपट्टी सुरकण्डा देवी मंदिर ग्राम समूह पम्पिंग पेयजल योजना (बहुल ग्राम योजना) का अनुमानित प्राक्कलन ₹ 4663.64 लाख पर टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा परीक्षणोंपरान्त ₹ 3512.93 लाख, निर्माण कार्यो हेतु एवं ₹ 1102.79 लाख उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अन्तर्गत कुल धनराशि ₹ 4615.72 लाख की औचित्यपूर्ण पायी गयी। व्यय वित्त समिति द्वारा टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत आगणन में 10 प्रतिशत कटौती करते हुए, ₹ 4154.17 लाख की धनराशि पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष-2015-16 में भारत सरकार से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्रत्याशा में ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i) उक्त प्राक्कलन की रु0 4615.72 लाख की धनराशि में 10 प्रतिशत की कटौती की जायेगी, जिसमें Contingency को 1 प्रतिशत की सीमा तक तथा शेष कटौती अन्य अनावश्यक मदों में करते हुए मुख्य अभियन्ता, राज एवं जल स्वच्छता मिशन द्वारा आगणन को सशोधित किया जायेगी। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के रुप में अवमुक्त प्रथम किश्त के सापेक्ष उक्त धनराशि का समायोजन सुनिश्चित करेंगें।

(ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि मुख्य अभियन्ता, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के हस्ताक्षर युक्त तथा जिला अधिकारी देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके आहरित की जायेगी। आहरण से सम्बन्धित बिल बाउचर संख्या एवं दिनांक की सूचना शासन एवं महालेखाकार को आहरण के तुरन्त बाद उपलब्ध करायी जायेगी।

(iii) यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना/कार्य एस0एल0एस0सी0से नियमानुसार तथा भारत सरकार द्वारा निर्गत प्रभावी दिशा-निर्देशों व अन्य संगत नियमों/निर्देशों अनुसार स्वीकृत हों तथा कार्य की लागत/तकनीकी स्वीकृति इस हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृत हों, साथ ही धनराशि का व्यय स्वीकृत लागत के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

(iv) उक्त स्वीकृति की जा रही धनराशि का दिनांक 31.03.16 तक पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार एवं शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(v) उपरोक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन के माध्यम से कार्यदायी संस्थाओं को दी जायेगी तथा राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन एवं सम्बन्धित कार्यदायी

Photocopy Attested
Assistant Engineer
Construction Div.
Uttarakhand Peyjal Sansadhan Vikas Evam Nirman Nigam, Chamba